भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24,तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 405वीं एनओसी बैठक का कार्यवृत्त

स्थान - बोर्ड रूम, चौथी मंजिल, धरोहर भवन

दिनांक एवं समय - 13 सितम्बर, 2023 अपराह्न 03.00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
2. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए
3. प्रो. एम. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए
4. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
5. कर्नल सव्यसाची मारवाह, निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची संख्या 01

403वीं और 404वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या 02

ऑनलाइन नए मामले:

मामला संख्या 01

(श्री अभिषेक धर, 347, रविन्द्र सरणी, रविन्द्र कानन पार्क के समीप, बीडन स्ट्रीट, कोलकता, पश्चिम बंगाल-700006)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आवेदक द्वारा टिप्पणियों का सुधार करने के पश्चात प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए निम्निलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को वापिस भेजने का निर्णय लिया गया:-

1. भवन योजना में प्रस्तावित स्थल का पता और तलक्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. भवन योजना वास्तुविद द्वारा हस्ताक्षरित और स्टेम्प नहीं लगी हुई है।

3. सम्पत्ति दस्तावेजों में स्थल के पते का उल्लेख नहीं है।
4. स्व-घोषणा संलग्न नहीं है।

मामला संख्या 02

(सौगात दत्ता, सखारी बाजार, बिष्णुपुर, बांकुरा-722122)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आरएस 13363 और एलआर 22332, बिष्णुपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में 5.77 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेन्ट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि) के साथ भूतल के साथ जीएफ = 62.38 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। निर्माण के लिए अनुमति सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्रीमती दर्शन अग्रवाल, हाउस नं. 11, वार्ड नं. 05, रेलवे रोड के समीप, बाईपास अग्रवाल कालोनी, संजय टायर के समीप, होडल-121106, हरियाणा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आवेदक को निर्माण के प्रस्तावित स्थल का उल्लेख करने और स्व-घोषणा पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापिस** भेजने का निर्णय लिया गया ।

मामला संख्या: 04

(अतिरिक्त सिटी इंजीनियर, जल परियोजना, एएमसी, 5वीं मंजिल, दानापीठ, अहमदाबाद नगर निगम, अहमदाबाद (गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह पाया गया कि फॉर्म-I और भवन योजना में ऊंचाई बेमेल है और भवन योजना पर वास्तुविद द्वारा मुहर नहीं लगाई गई है और हस्ताक्षर नहीं किया गया है। हालाँकि, प्राधिकरण ने इस मामले में जनहित को ध्यान में रखते हुए सी.एस. नं. 4276, शीट संख्या 59+60+61, रायखड, अहमदाबाद, गुजरात में (1) निरीक्षण गैलरी = 03.625 मीटर (2) क्लोरीनीकरण कक्ष = 04.60 मीटर और (3) एलटी कक्ष सह हौदी हाऊस का कार्यालय = 08.90 मीटर (ममटी , पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, जनरेटर कक्ष, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ भूतल का क्षेत्रफल = 1250.00 वर्ग मीटर, बेसमेंट की गहराई = 06.35 मीटर (भूमिगत हौदी) भूतल के साथ सार्वजनिक भवन के निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश

करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 05

(श्री के. सरवनन, नंबर: 7, कलैवानी स्ट्रीट, कीलकट्टलाई, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्लॉट नंबर:1, क्रमांक:323/9ए1, कीलकट्टलाई, पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 16.88 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन, पेंट हाउस आदि की संरचनाएं सहित) के साथ स्टिल्ट + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = 1F = 2F=3F= 145.43 वर्ग मीटर, हेडरूम क्षेत्र और लिफ्ट क्षेत्र = 15.87 वर्गमीटर के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 06

(श्री बी. जगदीशकुमार एवं श्रीमती जे. शांति, नं.09, वीरपेरुमल अय्यंगार स्ट्रीट, उथिरामेरुर टाउन, कांचीपुरम जिला)

आवेदन पर विचार करने के बाद क्रमांक 1577/10, उथिरामेरुर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में 09.53 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन, पेंट हाउस आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ प्रस्तावित जीएफ = 151.00 वर्गमीटर, प्रस्तावित 1एफ = 164.00 वर्गमीटर के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 07

(श्री एस हरि बाबू, प्लॉट नं.12, दूसरा मेन रोड, अरुणोथायम नगर, नानमंगलम, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद 304/18, नानमंगलम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 11.20 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन, पेंट हाउस आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ मौजूदा जीएफ = 42.26 वर्गमीटर, प्रस्तावित जीएफ = 42.10 वर्गमीटर, प्रस्तावित 1एफ = 84.36 वर्गमीटर

के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 08

(श्री राजन बाबू एस, वार्ड नंबर 4, ब्लॉक नंबर 9, डी नंबर 11, टीएस नंबर 709/3, ईस्ट राजा स्ट्रीट, कांसीपुरम टाउन और जिला)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और तदनुसार संशोधित भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या: 09

(श्री एम. सेंथामिझारसु, डी नंबर: 82ए, संगीतविथवन नैना स्ट्रीट, पुथेरी, कांचीपुरम)

आवेदन पर विचार करने के बाद क्रम संख्या : 225/8 और 225/9, कांचीपुरम , तमिलनाडु में 7.43 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ भूतल के साथ प्रस्तावित भूतल क्षेत्र = 70.33 वर्ग मीटर, खुला स्थान क्षेत्र = 41.17 वर्ग मीटर, चार दीवारी = 48.80 आरएमटी के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 10

(श्री एम. महेशगोपी एवं श्रीमती. के.उथरालक्ष्मी, नं.147जी एफएल, 5वीं मुख्य सड़क, वेंकटरमन नगर, हस्तिनापुरम, चेन्नई-600064)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को सही ऊंचाई का उल्लेख करते हुए और पंजीकृत वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाकर सेक्शन प्लान को फिर से जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या: 11

(श्री श्रीनिवासन, 13/9, न्यू अग्रहारम, दारासुरम पीओ, कुंभकोणम टीके, तंजावुर जिला - 612702)

आवेदन पर विचार करने के बाद 32/10, छत्रम दारासुरम , तंजावुर , तमिलनाडु में 6.92 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर ऊर्जा पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पैंट हाउस, टैरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ प्रस्तावित जीएफ = 1एफ = 63.15 वर्गमीटर, खुला स्थान क्षेत्र = 139.45 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 12

(श्री मधिवानन शिवलिंगम और श्रीमती सुधा जयचंद्रन, भरणी हेवियन, प्लॉट नंबर:3, फ्लैट नंबर:एस1, दूसरी मंजिल, पुनीथवथी कॉलोनी, पहली स्ट्रीट, गौरीवक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600073)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को सही ऊंचाई का उल्लेख करते हुए भवन योजना फिर से जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया क्योंकि फार्म-1, फार्म-2 और भवन योजना में बेमेल है।

मामला संख्या: 13

(श्री आनंदकुमार जैन जी एवं श्रीमती. ए. ममथा मुथा, घेवर , चंद जैन जे, नंबर: 15, एन्नाइकरा स्ट्रीट, जैन कोविल स्ट्रीट, कांचीपुरम, 631501)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 9.12 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और तदनुसार संशोधित भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या: 14

(श्री एस वरदान, प्लॉट नंबर: 29, तिरुवल्लुवर स्ट्रीट, सारा नगर, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया गया क्योंकि निर्माण का प्रस्तावित स्थल प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आता है और एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20 ए (4) के अनुसार किसी केंद्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मामला संख्या: 15

(श्री वेंकट पाणि कृष्ण राव पाटिल पुत्र श्री श्रीनिवास राव पाटिल, 5/230, सेंटमिल नगर एक्सटेंशन, सीथलप्पाकम, चेन्नई-131)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया गया क्योंकि निर्माण का प्रस्तावित स्थल प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आता है और एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20 ए (4) के अनुसार किसी केंद्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मामला संख्या: 16

(श्रीमती एस रेवती @ रेवती राजारमन, नंबर: 10, 6 वीं क्रॉस स्ट्रीट, एलआईसी कॉलोनी, पम्मल , चेन्नई-600075)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्लॉट नंबर:8ए, क्रमांक:157/2सी1पीटी, ज़मीन पर पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 12.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर ऊर्जा पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टेरेस गार्डन आदि की संरचनाएं सहित) के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ प्रस्तावित जीएफ = 40.41 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 63.90 वर्गमीटर, पोर्टिको क्षेत्र = 23.49 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र = 8.06 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 17

(श्री एस विजयकुमार, डी.नं.11डी/7-8, वाइको नगर, अप्पाराव स्ट्रीट, बिग कांसीपुरम 631502)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित रखने और तदनुसार संशोधित भवन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या: 18

(श्री बी. शबीर अहमद, नंबर: 1/12, कामराज नगर दूसरी लाइन धारगा कॉलोनी, ज़मीन पल्लावरम, चेन्नई-600043)

आवेदन पर विचार करने के बाद डी.नं.:1, साउथसाइड, एस.नं.:44/10, जमीन पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **14.44 मीटर** की कुल ऊंचाई के साथ (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर कक्ष, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचनाओं सहित) स्टिल्ट+3 मंजिल के साथ स्टिल्ट फ्लोर क्षेत्र = 1F = 2F = 3F= 69.00 वर्गमीटर, हेडरूम और लिफ्ट क्षेत्र = 12.97 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 19

(श्री वी. अबुबक्कर सिद्दीक और श्रीमती थमीमुनिशा, नंबर: 68ए, धारगा कॉलोनी तीसरी स्ट्रीट, जमीन पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु-600043)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 1 (उत्तरी भाग) क्रम संख्या: 44/10, जमीन पल्लावरम, चैंगलपट्टू, तमिलनाडु में 14.44 मीटर (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+3 मंजिल के साथ 1एफ = 2एफ = 3एफ = 69.00 वर्गमीटर, हेडरूम और लिफ्ट क्षेत्र = 12.97 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 20

(श्री ए. चेलैया, दरवाजा संख्या: 17, देवी करुमारी अम्मन नगर, दूसरी स्ट्रीट, इंद्रा कॉलोनी, पल्लीकरनई, चेन्नई-600100)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी.नं.:2ए, एस.नं.:176/1ए1बी1पीटी, जमीन पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 16.87 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ स्टिल्ट और जीएफ+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट फ्लोर क्षेत्र = 58.95 वर्गमीटर, जीएफ = 61.52 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 120.47 वर्गमीटर, 3एफ = 74.56 वर्गमीटर, हेडरूम एवं लिफ्ट क्षेत्र = 14.68 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश

की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 21

(श्री आर शिवानंदम, फ्लैट नंबर: सी3, रुक्मणी स्ट्रीट, कीलकट्टलाई, चेन्नई-600117)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी. सं.:2, एस.सं:176/1A5, जमीन पल्लावरम, पल्लावरम, चैंगलपट्टू, तमिलनाडु में 14.43 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ स्टिल्ट+3 मंजिलो के साथ स्टिल्ट = 1एफ = 2 एफ = 3 एफ = 93.46 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र = 8.99 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 22

(श्री के. सुरेश कुमार, नंबर: 103, दूसरा मेन रोड, शंकरपुरम, सित्तलपक्कम, चेन्नई-600126)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आवेदक को फॉर्म- I और फॉर्म- II में उल्लिखित प्रस्तावित निर्माण स्थल के पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा को फिर से जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या: 23

(श्री एम गोपीनाथ (जीपीए) और श्रीमती आर शांति (मालिक), नंबर: 27 कंबार स्ट्रीट पल्लावरम चेन्नई)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आवेदक को केवल जीपीए द्वारा हस्ताक्षरित पूर्ण और सही संपत्ति दस्तावेज और स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या: 24

(श्री के सरवनन, नंबर: 7, कलैवानी स्ट्रीट, कीलकट्टलाई, चेन्नई)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में दरवाजा नंबर: 5, एस.नंबर: 323/9 बी, कीलकट्टलाई, पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 16.88 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ स्टिल्ट+3 तलों के साथ स्टिल्ट = 1 एफ = 2 एफ = 3 एफ = 161.59 वर्गमीटर, हेडरूम क्षेत्र एवं लिफ्ट क्षेत्र = 15.64 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ व्यवसायिक भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 25

(श्री आर. शंकरन, फ्लैट 6डी, रामानियम गैलरी अपार्टमेंट, #63, ईस्ट कोस्ट रोड, तिरुवन्मियूर, चेन्नई 600 041)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में क्रम संख्या: 412/2सी2ए और 2सी2बी, पेरुंबक्कम, तांबरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 12.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = 59.36 वर्गमीटर, 1एफ = 64.33 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

ऑनलाइन अनुपालन मामले

मामला संख्या: 01

(श्री जगदीश मगन और आशीष मगन, 66-सूर्य नगर, शीला टॉकीज के पीछे, सिविल लाइन, आगरा यूपी - 282002)

आवेदन पर विचार करने के बाद और सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर विचार करने के बाद, मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने स्व-घोषणा के साथ वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी प्रस्तावित भवन योजना जमा करने के पहले के निर्देश का पालन नहीं किया गया है। आवेदक पूर्ण और सही दस्तावेजों के साथ विधिवत समर्थित एक नया आवेदन जमा कर सकता है।

मामला संख्या: 02

(श्रीमती सोन देवी, 1632 ए यूरोपियन कॉलोनी, मुगल सराय जिला-चंदौली, (उ.प्र.)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने अभी भी फॉर्म-I, फॉर्म-II और स्थल योजना में दी गई प्रस्तावित भवन की ऊंचाई में विसंगति को ठीक नहीं किया है। आवेदक अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर (सभी सम्मिलित) तक सीमित रखते हुए पूर्ण और सही दस्तावेजों के साथ विधिवत समर्थित एक नया आवेदन जमा करें।

मामला संख्या: 03

(महादेवी एस देवरामनी #13-बी, दूसरा मुख्य, दूसरा क्रॉस, केंचनहल्ली, राजराजेश्वरी नगर, बैंगलोर 560098)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 961/2, शहरी (पाशापुर पेठ, पावाडा के पास) बसवेश्वर मंदिर, बीजापुर 586101, बीजापुर, कर्नाटक में 7.35 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = 90.58 वर्गमीटर, एफएफ=111.55 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 04

(सोमा चुआ पत्नी विश्वजीत चुआ, गांव- मथुरा बिहारी, डाकघर भारा, थाना बिष्णुपुर, जिला बांकुरा, पश्चिम बंगाल, पिन - 722157)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में आरएस 14141, एलआर 8067, कालाचंद मंदिर के पास, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में 7.15 मीटर की कुल ऊंचाई (मम्टी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=एफएफ=103.08 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के साथ

निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गयी है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 05

(निखिल प्रभुलाल टांक और सचिन प्रभुलाल टांक, आनंद चौक, रेतवा पड़ाव, द्वारका, जिला- देवभूमि द्वारका, गुजरात-361335

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण विचाराधीन केंद्रीय संरक्षित स्मारक के संबंध में कोई भी अंतिम सिफ़ारिश करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, गुजरात और एएसआई के स्थानीय अधिकारियों के साथ कार्य-स्थल का दौरा करेगा, ताकि यह आकलन किया जा सके कि प्रस्तावित निर्माण से बचाव, सुरक्षा, संरक्षण, दृश्यता या सुसाध्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या नहीं। ।

ऑफ़लाइन अनुपालन मामले

मामला संख्या:01

(संतोष कुमार पांडा और अन्य, भूखंड संख्या:4442, गडकाना, भुवनेश्वर, जिला - खोरधा, ओडिशा - 751017)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड संख्या: 2842, खाता नंबर:1593 मौजा- भुवनेश्वर सहारा, गौतम नगर, भुवनेश्वर, जिला - खोरधा, राज्य-ओडिशा में 18.45 मीटर की कुल ऊंचाई (पैरापेट, ममटी और जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ स्टिल्ट फ्लोर+4 तलों के साथ स्टिल्ट फ़्लोर = 320.42 वर्गमीटर, 1एफ = 2एफ = 3एफ = 4एफ = 315.03 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। भवन निर्माण के समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 02

(श्रीमती आदर्श बाली, एच-1/2, हौज़ खास, नई दिल्ली-110016)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एच-1/2, हौज़ खास, नई दिल्ली-110016 में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ

बेसमेंट +स्टिल्ट+जीएफ+3 तलों के साथ स्टिल्ट = 28.1 वर्गमीटर, जीएफ = 1एफ = 2एफ= 3एफ= 108.88 वर्गमीटर, बेसमेंट क्षेत्र = 3.00 वर्ग मीटर (एफएआर), 105.88 वर्ग मीटर (एफएआर से मुक्त) और गहराई = 3.00 मीटर के तल क्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

अतिरिक्त कार्यसूची

दिल्ली ऑनलाइन नए मामले

मामला संख्या: 01

(श्री तलित जैन और श्री आनंद जैन, निवासी 13, वीर नगर, जैन कॉलोनी, दिल्ली 110007)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक द्वारा प्रदान की गई स्व-घोषणा स्वामी द्वारा विधिवत प्रमाणित नहीं है। आवेदक पूर्ण और सही स्वामित्व दस्तावेजों द्वारा समर्थित एक नया आवेदन जमा करें।

मामला संख्या: 02

(श्री मोहम्मद फरीद मोहम्मद जीशान खान अब्दुल रशीद अंसारी एतद्द्वारा मनोनीत कांस्टेबल नियुक्त करते हैं। मोहम्मद आलम, ई-48, न्यू सीलमपुर, जाफराबाद, दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया गया क्योंकि जीपीए द्वारा स्वामित्व दस्तावेज स्टांप पेपर के बजाय सादे कागज में प्रदान किया गया है और भवन योजना पर वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षर और मुहर भी नहीं लगाई गई है। आवेदक पूर्ण और सही दस्तावेजों के साथ विधिवत समर्थित एक नया आवेदन जमा कर सकता है।

मामला संख्या: 03

(श्री सुशील कुमार वाही, 63, दूसरी मंजिल, रीगल बिल्डिंग, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया गया क्योंकि फॉर्म । और II में निर्माण का उद्देश्य अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन के रूप में वर्णित है, जबकि कार्यस्थल योजना में आवेदक मरम्मत और नवीनीकरण कार्य का प्रस्ताव कर रहा है और आवेदक ने स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एमसीडी का प्रमाण पत्र जमा किया है जिसमें भी मरम्मत और नवीनीकरण का उल्लेख है। आवेदक पूर्ण और सही दस्तावेजों के साथ विधिवत समर्थित एक नया आवेदन जमा करें।

<u>मामला संख्या: 04</u>

(शहजान सलीम पटेल और अन्य, इंपीरियल डेवलपर्स (प्लाजा) के पार्टनर, रूबी सेलेक्शन के पास, गुलियारा मस्जिद के सामने, घांची रोड, ढोलका, जिला- अहमदाबाद, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीएसनंबर 582/ए, टीका नंबर 3, शीट नंबर 57, ढोलका, अहमदाबाद, गुजरात में 16.09 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत के बगीचे की पेंट हाउस संरचनाएं आदि सहित) के साथ बेसमेंट+जीएफ+3 तलों+टेरेस फ्लोर के साथ बेसमेंट = 807.61 वर्गमीटर, जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 641.87 वर्ग मीटर, टेरेस फ्लोर = 21.61 वर्ग मीटर, बेसमेंट की गहराई = 03.20 मीटर के तलक्षेत्र के साथ व्यवसायिक भवन के निर्माण करने के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।